न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 121/2020

अपीलाण्टस	बनाम	रेस्पान्डेन्ट
1– ताहिर उल हक पुत्र जहीर अहमद 2– मयूरूल हुसैन पुत्र जहीर अहमद 3– नजीर हुसैन पुत्र जहीर अहमद 4– मोहम्मद साबिर पुत्र जहीर अहमद जातियान मुसलमान निवासीगण खेरादियो का बास ताहा टेलर इंशाखिया स्कूल जोधपुर		1– मुनीरा बानो पुत्री जहीर अहमद पत्नी इफतेखारूल हसन जाति मुसलमान निवासी बासनी हाऊस, कपडा बाजार जोधपुर 2– ग्राम पंचायत बोरानाडा जरिये सरपंच 3– तहसीलदार भू अभिलेख लूनी जिला जोधपुर **प्राफार्मा पक्षकार** 4– कोसन बानो पुत्री जहीर अहमद पत्नी मोहम्मद फारूख जाति मुसलमान निवासी 15 ए–1, बफर जोन नोर्थ, नाजमाबाद कराची, पाकिस्तान

राजस्व द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–2–2020 जो सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा राजस्व अपील संख्या 4/2019 अनवान मुनीरा बानो बनाम ताहिर उल हक व अन्य मे पारित करते हुए नामांतरकरण संख्या 364 दिनांक 5–11–2014 करे निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार लूनी को रिमाण्ड किया गया, जिसकी पालना मे तहसीलदार लूनी ने बिना विधिवत जांच किये नामांतरकरण संख्या 475 दिनांक 19–8–2020 को कानूनी प्रकिया के विपरीत दर्ज कर स्वीकृत कर दिया ।

उपस्थितिः–

1–श्री मोहम्मद आसिफ खान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 26–3–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बासनी सिलावटा पटवार हल्का बोरानाडा तहसील लूनी के खसरा नंबरान कमशः 57/2, 46, 49/3, 37, 47, 49/2, 57, 57/1, 58 एवं 59 कुल 10 खसरान की कुल रकबा 82.04 बीघा भूमि के सहखातेदार जहीर अहमद पि0 ईसाक जाति मुसलमान सिलावटा था । उक्त खातेदार के दिनांक 5–9–1997 को फोत होने पर उसके खातेदारी की उक्त भूमि के संबंध मे विरासत का नामांतरकरण संख्या 364 उसके पुत्र नजीर हुसैन द्वारा 10/– के नोटेरी सुदा शपथपत्र मे बताए गये वारिसान के नाम दर्ज करते हुए उक्त म्युटेशन सरपंच ग्राम पंचायत बोरानाडा (लूनी) द्वारा दिनांक 5–11–2014 को स्वीकृत किया गया तथा उक्त नामांतरकरण संख्या 364 की पुष्ट पर मृत खातेदार जहीर अहमद की वंशावली का भी उल्लेख किया गया । उक्त म्युटेशन संख्या 364 के विरूद्ध वर्तमान अपील की रेस्पो0

संख्या 1 मुनीरा बानो पुत्री जहीर अहमद पत्नी इफ्तेखारूल हसन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूनी के समक्ष दिनांक 19–3–2019 को प्रथम अपील यह कथन करते हुए पेश की कि अपीलाधीन नामांतरकरण मे वर्णित भूमि जहीर अहमद पि0 इसाक जाति मुसलमान रिलावटा के खातेदारी की थी तथा वह मृतक खातेदार जहीर अहमद की पुत्री है इसलिए उसके पिता के खातेदारी की भूमि मे पुत्रो के साथ उसका नाम भी उक्त नामांतरकरण मे दर्ज किया जाना चाहिये था परंतु सरपंच ग्राम पंचायत बोरानाडा ने केवल मृत खातेदार के पुत्रो के नाम दर्ज करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 364 स्वीकृत कर दिया, जिसकी जानकारी उसे पटवारी हल्का से होने पर अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश कर उक्त म्युटेशन को निरस्त करवाने का निवेदन किया तथा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं अपील पेश करने की अनुमति पार्थना पत्र मय शपथपत्र भी पेश किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–2–2020 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए अपीलार्थियां की प्रथम अपील को स्वीकार कर ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा स्वीकृत किये गये अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 364 दिनांक 5–11–2014 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार लूनी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि स्व0 जहीर अहमद के सभी विधिक वारिसान की जांच कर सभी विधिक वारिसान के नाम नामांतरकरण स्वीकृत करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 17–2–2020 के विरूद्ध वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 14–9–2020 को धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत की गई है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी मौखिक बहस के अलावा लिखित बहस भी पेश की तथा उक्त लिखित बहस को भी उनकी बहस का अंग सुमार करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे मयाद के बिन्दु पर कथन किया कि गत वर्ष सम्पूर्ण भारत मे कोरोना माहमारी के कारण लॉकडाऊन के कारण सम्पूर्ण न्यायिक कार्यवाहियां स्थगित रही थी इसलिए अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुए थे इसलिए अपीलांटगण को अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नही हो सकी तथा जानकारी होतू ही उक्त अपील अंदर मयाद धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर दी थी इसलिए उक्त अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलंब को माफ कर अपील के गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे वर्तमान अपीलांटगण की ओर से दिनांक 11–11–2019 को अधीनस्थ न्यायालय की अपील मीमो का पैरावाईज जवाब एवं प्रारंम्भिक आपतियां पेश की थी जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे नत्थी है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इसको अनदेखा करते हुए तथा कन्सीडर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत जवाब मे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि अप्राथीगण (वर्तमान अपीलांटगण) के

पक्ष मे एक रजिस्टर्ड वसीयत उनके पिता द्वारा अपने जीवनकाल मे निष्पादित की थी और उसी के आधार पर ग्राम पंचायत बोरानाडा ने नामांतरकरण संख्या 364 दर्ज किया जाना था तथा यह भी कथन किया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि रजिस्टर्ड वसीयत को खारीज करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की पूर्ण अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–2–2020 को पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 364 जो दिनांक 5–11–2014 को स्वीकृत हुआ था उसके लगभग 4 वर्ष 6 माह पश्चात दिनांक 28–5–2019 को अपील के जरिये उक्त म्युटेशन को चुनौती दी थी जिसके साथ परस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे इस असाधारण विलंब को क्षमा करने बाबत कोई ठोस एवं संतोषजनक कारण का उल्लेख नही होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को अंदर मयाद मानकर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने इस संबंध मे अपनी लिखित बहस मे ए.आई.आर.1998 एस.सी.पेज 2276 एवं माननीय केरल उच्च न्यायालय ने 2093 Ramanatha Iyer v. Ibrahim Rowther 1961 Ker L T 18; 1960 Ker L T 1460 के उद्धरण प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे विलंब को क्षमा करने का कोई उचित एवं पर्याप्त कारण का उल्लेख नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित बहस मे यह उल्लेख किया कि श्रीमती मुनिरा बानो पुत्री जाहिर अहमद द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील मे उसके पिता र्निवसीयत फोत होना बताते हुए उसके पिता के खातेदारी भूमि मे केवल मृतक के पुत्रगणो के नाम से नामांतरकरण दर्ज कर स्वीकृत करवा लिया उसमे पुत्रियो का नाम दर्ज नही करवाया इसलिए उक्त म्युटेशन के विरूद्ध अपील पेश करना चाहती है परंतु अधीनस्थ न्यायालय मे इसके समर्थन मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मौखिक कथन के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्य को झुठला कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित बहस मे यह भी उल्लेख किया कि खातेदार स्व0 जहीर अहमद ने अपने जीवनकाल मे ही वसीयत कर दी थी तथा उसका उप पंजीयन कार्यालय जोधपुर मे विधिवत पंजीयन भी करवाया था जिसके पंजीयन क्रमांक पुस्तक संख्या तृतीय जिल्द संख्या 04 पुष्ठ संख्या 113 मे क्रम संख्या 110 है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि ग्राम पंचायत ने वसीयत के आधार पर ही नामांतरकरण दर्ज किया था तथा कथन किया कि चूंकि नामांतरकरण के पृष्ठ पर संक्षिप्त विवरण ही आता है इसलिए उसमे सिफ शपथपत्र का ही उल्लेख किया जा सका तथा यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 (वर्तमान अपीलांटगण) की ओर से प्रस्तुत जवाब मीमो ऑफ अपील दिनांक 24–9–2019 मे स्पष्ट उल्लेख किया गया है तथा पंजीवद्ध वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड का अवलोकन

किये बिना तथ्यो एवं रिकार्ड के परे जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–2–2020 को पारित कर दिया जो विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलाट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस मे कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39 के प्रावधानो के तहत कोई भी खातेदार अपने खातेदारी भूमि का अपने हित को या हिताश को उसके व्यक्तिगत कानून के अनुसार जिसके कि वह अधीन है, अंतिम इच्छा पत्र के द्वारा वसीयत मे दे सकता है तथा ऐसे वसीयत के मामलो मे वसीयत के आधार पर ही नामांतरकरण की कार्यवाही की जायेगी परतु वर्तमान प्रकरण मे खातेदार स्व0 जहीर अहमद द्वारा दिनांक 18–6–1993 को एक पंजीबद्ध वसीयत की थी तथा ग्राम पंचायत ने उसी पंजीबद्ध वसीयत के आधार पर नामातरकरण संख्या 364 स्वीकृत किया था, जिसे यथावत रखने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39, 135 तथा 137 एवं राजस्थान लेण्ड रेकर्ड रूल्स की धारा 132 मे दिये गये प्रावधान अनुसार प्रत्येक आसामी के उतराधिकारी का निर्धारण संबंधित आसामी के व्यक्तिगत कानून एवं प्रथागत विधि अनुसार लागू होगा । वर्तमान प्रकरण मे अपीलांटगण एवं रेस्पो0 दोनो ही मुस्लिम समुदाय से है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इसकी अवहेलना करते हुए अपीलाधीन निर्णय हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के तहत पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है तथा उक्त अपीलाधीन आदेश की पालना मे नायब तहसीलदार द्वारा नामांतरकरण संख्या 475 पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 19–8–20 भी विधिविरूद्ध होने से उसे निरस्त कर म्युटेशन संख्या 364 को बहाल रखे जाने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित बहस मे यह भी उल्लेख किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–2–2020 मे जांच कर नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश था मगर तहसीलदार लूनी द्वारा उसमे किसी प्रकार की जांच नही की और मनमानी तरीके से नामांतरकरण दर्ज कर दिया जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि नामांतरकरण खातेदार के व्यक्तिगत कानून के अनुसार दर्ज करना चाहिये मगर इस मामले मे मुस्लिम उतराधिकार विधि की पूर्ण अवहेलना करते हुए हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार नामांतरकरण दर्ज कर दिया । वकील अपीलांट ने कथन किया कि तहसीलदार को यह अधिकार नही है कि वह एक मुस्लिम उतराधिकार कानून से शासित व्यक्ति के मामले मे हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार नामांतरकरण दर्ज करें ।

अंत मे वकील अपीलाट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–2–20 को खारीज करने तथा उक्त आदेश की पालना मे भरे गये नामांतरकरण संख्या 475 जो बिना क्षेत्राधिकार के भरा गया होने उसे निरस्त करने तथा म्युटेशन संख्या 364 को बहाल रखा जाने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–2–2020 को विधिसम्मत बताते हुए न्यायालय

का ध्यान अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 364 के कॉलम संख्या 14 से 16 मे लगाये गये नोट की ओर दिलाया तथा कथन किया कि उक्त म्युटेशन संख्या 364 जो कि खातेदार जहीर अहमद के दिनांक 5–9–97 को फोत होने पर विरासत का नामांतरकरण अपीलांट संख्या 3 नजीर हुसैन पुत्र जहीर अहमद द्वारा प्रस्तुत 10/– के नोटेरीसुदा शपथपत्र जिसमे बताए गये वारिसान के नाम दर्ज करते हुए पटवारी हल्का ने प्रस्तुत किया, उक्त म्युटेशन बाद जांच सरपंच ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा दिनांक 5–11–2014 को स्वीकृत किया गया था, जिसमे मृतक खातेदार जहीर अहमद द्वारा अपीलांटगण के पक्ष मे निष्पादित वसीयत का कोई उल्लेख नही है तथा उक्त म्युटेशन की पुश्त पर मृतक खातेदार जहीर अहमद की जो वंशावली बनाई गई है उसमे केवल चार पुत्रो (वर्तमान अपीलांटगण) को ही वारिस बताया तथा उक्त के अलावा कोई वारिस नही होना बताया गया है तथा मूल म्युटेशन की पुश्त पर बनाई गई वंशावली पर वर्तमान अपीलांटगण स्वयं के हस्ताक्षर भी है।

उक्त म्युटेशन संख्या 364 की जानकारी रेस्पो0 संख्या 1 मुनीरा बानो जो मृतक खातेदार जहीर अहमद की पुत्री होने से उसका नाम उसके पिता के खातेदारी मे दर्ज नही किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूनी के समक्ष धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रथम अपील पेश की, जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0गण के सम्मन जारी हुए तथा अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 संख्या 1 से 4 जो वर्तमान अपीलांटगण है, उनकी ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे प्राथमिक आपत्तियां प्रस्तुत की गई जिसमे वर्तमान अपीलांट स्वयं ने वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 मुनीरा बानो को मृतक खातेदार जहीर अहमद की पुत्री होना स्वीकार किया है इसके अलावा वर्तमान अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील अनुसार कोसन बानो भी जहीर अहमद की पुत्री है अथार्त अपीलांटगण द्वारा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 364 की स्वीकृति के समय ग्राम पंचायत के समक्ष मृतक खातेदार जहीर अहमद के वारिसान बाबत प्रस्तुत शपथपत्र मे गलत वारिसान का उल्लेख करते हुए उक्त म्युटेशन स्वीकृत करवाया गया, जिसे अब बहाल रखने का निवेदन किया जा रहा है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि जब अपीलांटगण के पक्ष मे मृतक खातेदार द्वारा दिनांक 18–6–93 को निष्पादित वसीयत का दस्तावेज उनके पास उपलब्ध था तो खातेदार जहीर अहमद के दिनांक 5–9–97 को फौत होने पर उसके खातेदारी भूमि को उनके पक्ष मे निष्पादित वसीयत के आधार पर म्युटेशन दर्ज करवाने बाबत ग्राम पंचायत से निवेदन क्यो नही किया । वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने इस संबंध मे अपनी बहस मे यह भी उल्लेख किया कि मुस्लिम विधि मे कोई भी खातेदार अपनी सम्पति के 1/3 हिस्से तक की ही वसीयत करने की अधिकारिता रखता है इसलिए कानूनन स्व0 जहीर अहमद द्वारा की गई वसीयत अनुसार अपीलांटगण को अपीलाधीन भूमि मे सम्पूर्ण हिस्सा प्राप्त नही होता इसलिए इस कानूनी प्रावधान के मध्यनजर अपीलांटगण ने जानवूझकर उनके पक्ष मे निष्पादित वसीयत को प्रकट नही किया । वकील रेस्पो0 ने इस कानूनी प्रावधान के संबंध मे ए.आई.आर.1971 राज. पेज 149 की निर्णय नजीर पेश की ।

प्रति० सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 364 जो कि गलत तथ्यो के आधार पर स्वीकृत किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय मे भी रेस्पो0गण ने मुनीरा बानो को जहीर अहमद की पुत्री होना उनके जवाब मे स्वीकार किया जाने से अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 364 को निरस्त कर प्रकरण स्व0 जहीर अहमद के सभी विधिक वारिसान की जांच कर सभी वारिसान के नाम से नामांतरकरण दर्ज करने बाबत जो आदेश दिया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि अपीलांटगण का यह कथन सही नही है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील के पक्षकारान मुस्लिम होने से मुस्लिम विधि अनुसार निर्णय पारित नही कर हिन्दु विधि अनुसार निर्णय पारित किया है । इस संबंध मे वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय मे अधीनस्थ न्यायालय ने कही उल्लेख नही किया है कि हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम अनुसार विधि वारिसान की जांच कर सभी विधिक वारिसान के नाम से नामांतरकरण स्वीकृत करें तथा यह भी कथन किया कि मुस्लिम विधि मे भी पुत्रियों का उनके पिता की सम्पति मे अधिकार तो निहित होता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन कि अपीलांटगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे कोई वसीयत का दस्तावेज पेश नही किया गया था । हालांकि इस न्यायालय हाजा के समक्ष मृतक खातेदार जहीर अहमद द्वारा अपीलांटगण के पक्ष मे निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत का दस्तावेज प्रस्तुत किया है तो यदि उक्त रजिस्टर्ड वसीयत का मान भी लिया जाये तो भी मुस्लिम विधि अनुसार मृत खातेदार को उसके खातेदारी की भूमि के 1/3 हिस्से तक की ही वसीयत करने का अधिकार हासिल था ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 17–2–2020 की पालना मे उप तहसीलदार झंवर द्वारा नये नामांतरकरण संख्या 474 एवं 475 भी स्वीकृत हो चुके है ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–2–2020 को विधिसम्मत बताते हुए तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय की पालना मे तहसीलदार लूनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–7–2020 मे दिये गये निर्देशो के कम मे नया म्युटेशन संख्या 475 स्वीकृत भी स्वीकृत हो चुका है और अपीलांट ने अब इस न्यायालय हाजा के समक्ष उसके पिता द्वारा पुत्रो के पक्ष मे निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत का दस्तावेज पेश कर कथन किया है कि उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे अपने लिखित जवाब आपत्त्यो मे वसीयत का उल्लेख किया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उसके द्वारा प्रस्तुत आपत्तियो पर गोर किये बिना अपीलांटगण के पक्ष मे रजिस्टर्ड वसीयत के प्रभाव मे रहते उसे नजरअंदाज कर जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–2–2020 को पारित किया है, जिसे निरस्त करने का निवेदन किया है ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 364 तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–2–2020 तथा उक्त निर्णय दिनांक 17–2–2020 की पालना मे तहसीलदार लूनी द्वारा रिमाण्ड प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 30–7–2020 एवं उसकी पालना मे स्वीकृत हुए नामांतरकरण संख्या 474 एवं 475 आदि का भी अवलोकन किया तथा वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के संबंध मे प्रस्तुत निर्णय नजीर ए.आई.आर.1971 राज. पेज 149 का भी अध्ययन किया ।

वर्तमान प्रस्तुत द्वितीय अपील मे अपीलांटगण का मुख्य कथन यह है कि अपीलांटगण के पिता जहीर अहमद द्वारा अपील मे वर्णित समस्त खसरा नंबरान की भूमि के संबंध मे एक रजिस्टर्ड वसीयत अपीलांटगण के पक्ष मे दिनांक 18–6–1993 को निष्पादित की थी तथा उक्त खातेदार जहीर अहमद के दिनांक 5–9–1997 को फोत होने पर उसके द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर ही सरपंच ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 364 दिनांक 5–11–2014 को स्वीकृत किया था इसलिए रजिस्टर्ड वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना राजस्व न्यायालय को वसीयत के आधार पर स्वीकृत किये गये नामांतरकरण को निरस्त करने का कोई अधिकार नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

इस संबंध मे अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 364 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त म्युटेशन खातेदार जहीर अहमद के फोत होने पर विरासत का म्युटेशन उसके पुत्र एवं वर्तमान अपीलांट संख्या 3 नजीर हुसैन द्वारा 10/– के नोटेरीसुदा शपथपत्र मे बताए गये वारिसान 4 पुत्रो के नाम दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया था न कि वसीयत के आधार पर इसलिए अपीलांट का यह कथन सही नही माना जा सकता कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 364 रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर भरा जाकर स्वीकृत किया गया था । इसके अलावा उक्त म्युटेशन की पुश्त पर जो वंशावली बनाई गई है जिसमे मृतक की पत्नी जो पूर्व से ही फोत है तथा केवल 4 पुत्रो के नाम का ही उल्लेख किया हुआ है तथा उक्त म्युटेशन की पुश्त पर अपीलांटगण सभी के हस्ताक्षर है जबकि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती मुनीरा बानो एवं कौसर बानो भी मृतक खातेदार जहीर अहमद की जायंदा पुत्रियां है जिसको अपीलांटगण भी स्वीकार करते है इसलिए ग्राम पंचायत के समक्ष गलत वंशावली तथा गलत शपथपत्र प्रस्तुत कर उक्त म्युटेशन अपीलांटगण ने अपने नाम स्वीकृत करवा लिया था, जो विधिसम्मत नही था जिसे निरस्त करने बाबत पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय समर्थन योग्य है ।

इसके अलावा अपीलांट की यह भी आपत्ति है कि इस द्वितीय अपील मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 4 वर्ष 6 माह विलंब से प्रस्तुत अपील मे मयाद के बिन्दु को कण्डोन करने बाबत कोई ठोस एवं संतोषप्रद कारण का उल्लेख अपील के साथ प्रस्तुत मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे नही होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को अंदर मयाद सुमार करने का जो आदेश पारित किया है, जो कानून की मंशा के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

इस संबंध मे यह उल्लेखनीय है कि जब अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 364 गलत सूचना के आधार पर तथा रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती मुनीरा बानो एवं अन्य पुत्री कोसन बानो को सुने बिना तथा उन्हे अपने पिता के खातेदारी से वंचित करते हुए हुए स्वीकृत किया गया था इसलिए उक्त म्युटेशन प्रांरभ से ही विधिविरूद्ध होने से ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का अंदर मयाद सुमार करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह समर्थन योग्य है ।

वर्तमान द्वितीय अपील मे अपीलांटगण का एक यह भी मुख्य तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत लिखित आपत्तियां जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है, जिनसे अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित पंजीबद्ध वसीयतनामे का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है तथा उसमे यह भी उल्लेख किया हुआ है कि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती मुनीरा बानो को उसके हक हिस्से से ज्यादा सम्पति प्रदान कर दी थी तथा उसके बच्चो की शादी मे पर्याप्त मात्रा मे मायरा आदि दे दिया गया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने रेकर्ड पर उपलब्ध रेस्पो0 के जवाब/आपत्तियो पर नजर अंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

अपीलांटगण के पक्ष मे निष्पादित वसीयत का दस्तावेज जो इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील के साथ पेश किया गया है, का भी परीक्षण करने पर यह स्पष्ट है कि मृतक खातेदार जहीर अहमद ने अपने जीवनकाल मे अपने पुत्रो वर्तमान अपीलांटगण के पक्ष मे अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 37, 47, 49/2, 57, 57/1, 58 एवं 59 कुल 7 खसरान की कुल रकबा 63.13 बीघा भूमि के संबंध मे वसीयत निष्पादित कर उसे रजिस्टर्ड करवाया था । अपीलांट का कथन है कि उक्त वसीयत के दस्तावेज को अधीनस्थ न्यायालय ने कंसीडर नही किया । इस संबंध मे रेस्पो0 संख्या 1 अधिवक्ता द्वारा उनकी बहस के दौरान उद्धरित एवं प्रस्तुत निर्णय नजीर ए.आई.आर.1971 राज. पेज 149 का अध्ययन करने तथा मुस्लिम लॉ मे वसीयत के संबंध मे दिये गये प्रावधानो का अध्ययन करने पर यह प्रकट है कि मुस्लिम समुदाय का कोई भी व्यक्ति अपनी सम्पति के 1/3 हिस्से तक की ही वसीयत विधिवत कर सकता है । चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण`के पक्ष मे निष्पादित वसीयतनामे का दस्तावेज प्रस्तुत नही होने से अपीलाधीन निर्णय मे वसीयत का उल्लेख किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

ऐसे मे हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17-2-2020 एवं उसकी पालना मे तहसीलदार लूनी द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 30-7-2020 एवं उसकी पालना मे स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 474 एवं 475 निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 364 का अवलोकन करे, मृतक जहीर अहमद द्वारा अपीलांटगण के पक्ष मे निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत के दस्तावेज का भी परीक्षण करे तथा मृतक जहीर अहमद के सभी विधिक वारिसान की जांच कर उन्हे सुनकर मुस्लिम विधि अनुसार वसीयत का परीक्षण करने के

वाद एवं वकील रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीर ए.आई.आर.1971 राज. पेज 149 को दृष्टिगत रखते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 26–3–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर